न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ़

पीठासीन अधिकारी : अवधेश मीना, आई.ए.एस.

प्र.सं. 31/2023

जी.सी.एस.एस. नं. : 2023/284

1. ईश्वर सिंह पुत्र गुरमीत सिंह जाति रायसिख निवासी 12 एपीडी तहसील रायसिंहनगर जिला अनूपगढ़ –अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार(राजस्व/भू.अ.) अनूपगढ़ –प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :–

1. श्री तिलकराज चुघ, अधिवक्ता अपीलार्थी
2. तहसीलदार अनूपगढ़, प्रत्यर्थी

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 03.05.2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि–

1. प्रकरण क्षेत्राधिकार परिवर्तन के कारण पूर्ववर्ती न्यायालय अति. जिला कलक्टर सूरतगढ़ (प्र.सं. 38/2023) से हस्तांतरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त होने पर दर्ज किया गया।
2. अपीलार्थी की ओर से तहसीलदार अनूपगढ़ के आदेश दिनांक 27.02.2023 जिसके द्वारा प्र.सं. 11/23 सरकार बनाम ईश्वर सिंह में आदेश पारित करते हुए चक 14 एपीडी तहसील अनूपगढ़ का मु.नं. 27 प.नं. 254/398 की 1.267है. भूमि पर से अपीलार्थी को बेदल करने के आदेश दिए गये हैं से व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गयी हैं।
3. प्रकरण में प्रत्यर्थी को तलब किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली मूल अभिलेख तलब किया गया। अधिवक्ता अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी की अपील पर बहस सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलार्थी अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया ना ही साक्ष्य का अवसर प्रदान किया गया। आलौच्य आदेश विधि विरूद्ध एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने के कारण काबिल निरस्ती हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर आज्ञापक प्रावधानों की अनदेखी कर आदेश पारित किया गया हैं। अपीलांट को नोटिस दिनांक 20.02.2023 को जारी कर पेशी दिनांक 24.02.2023 नियत की गयी। दिनांक 24.02.2023 को अपीलार्थी जरिए अधिवक्ता उपस्थित हुए इसके पश्चात अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को किसी प्रकार की पूर्व सूचना दिए आक्षेपित आदेश पारित कर दिया। चक 14 एपीडी तह. अनूपगढ़ मु.नं. 27 प.नं. 254/398 कि.नं. 1 ता 25 की 6.199है. कमाण्ड भूमि आराजीराज 50 वर्षो से अपीलांट के दादा करतार सिंह के कब्जा काश्त में थी जो बाद में अपीलार्थी के पिता वे उनके बाद अपीलार्थी के कब्ता काश्त में शान्तिपूर्वक चली आ रही हैं। भूमि में अपीलार्थी ढाणी बनाकर निवास कर रहा हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी प्रकार की जांच किये आलौच्य आदेश पारित किया गया हैं। उक्त [illegible] राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के समक्ष एसबी स्पेशल अपील रिट [illegible]2022 प्रस्तुत कर रखी हैं जो विचाराधीन हैं। कब्जे का [illegible] अधिकारी अनूपगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किया [illegible] अपीलांट को भूमि से बेदखल कर फसल निलाम [illegible] अपीलांट के संवैधानिक [illegible] का हनन होगा। आलौच्य आदेश विधि विरूद्ध [illegible] के कारण खारिज [illegible] निवेदन किया।
4. प्रत्यर्थी अपनी बहस में कथन किया कि पटवारी हल्का से राजकीय भूमि पर नाजायज काश्त कर अतिक्रमण की रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज किया जाकर अपीलार्थी को तलब किया गया। अपीलार्थी से जवाब नोटिस प्राप्त होने के उपरान्त निर्णय पारित किया गया हैं जो कि विधिसम्मत हैं। अपीलार्थी द्वारा राजकीय भूमि पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Avdhesh Meena
Date: 2024.05.23 17:22:10 IST
Reason: SelfAttested

अतिक्रमण कर नाजायज काश्त की गयी हैं, जिस कारण धारा 22 राज. उप. अधि. के तहत उनके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए काश्त फसल को कुर्क कर निलाम करने और अपीलार्थी को भूमि से बेदखल करने के आदेश पारित किये गये हैं। अपील अपीलार्थी खारिज करने हेतु निवेदन किया।

5. बहस उभयपक्ष पर मनन किया एंव पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य आदेश के विरूद्ध आपत्ति दर्ज करवाई हैं कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का परिशीलन किया गया। दिनांक 24.02.2023 को अपीलार्थी की उपस्थिति का अंकन पत्रावली पर हैं तथा अपीलार्थी द्वारा जवाब नोटिस भी प्रस्तुत किया गया हैं। जिसके उपरान्त पत्रावली दिनांक 08.03.2023 को नियत की गयी। आदेशिका पर दिनांक 08.03.2023 को अप्रार्थी की उपस्थिति का अंकन करते हुए अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आलौच्य आदेश पारित किया गया हैं। अतः ऐसी स्थिति में अपीलार्थी का यह कथन स्वीकार योग्य नहीं हैं कि उन्हें सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया।

6. अपीलार्थी द्वारा यह भी निवेदन किया गया हैं उक्त भूमि पर अपीलार्थी का 50 वर्ष से शान्तिपूर्वक कब्जा हैं, जिसके नियमन का प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया हैं तथा भूमि के संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के समक्ष एसबी स्पेशल अपील रिट सं. 333/2022 प्रस्तुत कर रखी हैं जो विचाराधीन हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना जांच किये आदेश पारित किया गया हैं जो विधि विरूद्ध हैं। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का परिशीलन किया जाने पर पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा किसी सक्षम न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश की प्रति अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गयी। स्थगन आदेश प्रभावी नहीं होने के कारण अधिनस्थ न्यायालय कार्यवाही हेतु स्वतंत्र थे। प्रकरण में तहसीलदार अनूपगढ़ को प्रस्तुत पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार अपीलार्थी द्वारा आराजीराज भूमि पर नाजायज काश्त की गयी हैं। जिसके आधार पर आलौच्य आदेश पारित किया गया हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा राजकीय भूमि पर अपीलार्थी को अतिक्रमी की अतिधारी घोषित करते हुए भूमि से बेदखल कर शास्ति अधिरोपित करते हुए भूमि पर काश्त फसल को निलाम करने के आदेश पारित किये गये हैं। जो न्यायालय की राय में समीचीन हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं हैं।

7. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती हैं।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक [illegible] 2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Avdhesh Meena
Date: 2024.05.23 17:22:10 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ (राज.)

जिला कलक्टर अनूपगढ़

(अवधेश मीना)
I.A.S
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
अनूपगढ़